

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2022 / 206

दिनांक :- 19.4.2022

मुकदमा नंबर 34/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गफुर खां वल्द करीम खां जाति मुसलमान सिंधी निवासी वेदरालाई तहसील पचपदरा। जिला बाडमेर।		<ol style="list-style-type: none"> 1. फरीद खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान सिंधी निवासी वेदरलाई। 2. हबीब खां पुत्र जले खां 3. हासम खां पुत्र जले खां 4. मुरहमों बैवा जले खां 5. लीला बैवा हुसैन खां 6. मखणे खां पुत्र हुसैन खां 7. समसू खां पुत्र हुसैन खां नोट-नाबालिंग विप्रार्थी संख्या 6 व 7 जरिये वली माता लीला विप्रार्थी सं. 5 8. इब्रौहिम खां पुत्र खीदू खां 9. वली खां पुत्र खीदू खां 10. हाजी खो पुत्र खीदू खां 11. रहमान खां पुत्र खीदू खां 12. समीया पुत्र दाउद खां 13. मूमल पत्नी दाउद खां जाति मुसलमान सभी निवासी वेदरलाई तहसील पचपदरा 14. हमले खां पुत्र काम्बू खां 15. मोहम्मद खां पुत्र काम्बू खां 16. मुरेखां पुत्र काम्बू खां 17. मुसे खां पुत्र जामिन खां 18. बरगत खां पुत्र जामिन खां 19. गफुर खां पुत्र जामिन खां 20. हेदर खां पुत्र जामिन खां 21. फतेह खां पुत्र जामिन खां जाति मुसलमान निवासीयान सिन्धियों की ढाणी तह. पचपदरा 22. देवाराम पुत्र सवाराम जाति भील निवासी मण्डापुरा के कायम मुकाम :- 22/1. ठाकराराम पुत्र देवाराम 22/2. मादाराम पुत्र देवाराम 22/3. तिजो बैवा देवाराम जाति भील निवासीयान मण्डापुरा 23. दुर्गाराम पुत्र सवाराम जाति भील 24. राणाराम पुत्र सवाराम 25. पोनकी पुत्री रामाराम 26. पुष्पा पुत्री रामाराम 27. मेलाराम पुत्र सोनाराम 28. राणाराम पुत्र गोराराम 29. भंवराराम पुत्र गोराराम 30. नेमाराम पुत्र गोराराम 31. श्रवण पुत्र गोराराम 32. केसाराम पुत्र सोनाराम जाति भील निवासी मण्डापुरा 33. राजस्थान सरकार (भूमिधारक जरिये तहसीलदार) पचपदरा



नरेश सोनी
जय खण्डे अधिकारी
बाडमेर

आदेश

दिनांक :- 18.04.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सिन्धियों की ढाणी पटवारी क्षेत्र पचपदरा भू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 1530/1066 रकबा 35 बीघा 05 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश साठी)
उपसहायक अधिकारी,
बालीतरा (बालीतरा)

क्रमांक /रीडर/ 2022/207

दिनांक :- 19-4-22

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये



(नरेश साठी)
उपसहायक अधिकारी,
बालीतरा
(बालीतरा)